क्रमांक / 155 / बो.प्र. / नि.स. / 2020 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19, अटल नगर, नँवा रायपुर

दिनांक / 12 / 2020

अपीलार्थी	–विरूद्ध–	प्रतिअपीलार्थी
श्री महेश कुमार शर्मा ओसवाल लाइन जैन दादाबाड़ी के पीछे वार्ड नं. 32 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ मो. 8103984747		श्री एल.बी.शाह जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग अटल नगर, नवा रायपुर

अपील प्रकरण क्र. 155
आदेश दिनांक 22.12.2020

1. यथा निर्धारित तिथि आज दिनांक 22.12.2020 को प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई में जन सूचना अधिकारी श्री एल.बी.शाह उपस्थित हुए। अपीलार्थी श्री महेश कुमार शर्मा सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक श्री महेश कुमार शर्मा के पत्र क्र. 235 दिनांक 05.10.2020 के द्वारा जन सूचना अधिकारी जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को आवेदन प्रस्तुत कर दुर्ग भिलाई में कार्यरत कर्मचारियों के संदर्भ में नौ बिन्दुओं में जानकारी चाही गई थी। 50 दिन से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी जानकारी प्राप्त नहीं होने से व्यथित होकर आवेदक के पत्र क्र. 256 दिनांक 28.11.2020 के द्वारा यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

जन सूचना अधिकारी के नस्ती का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी का निकट संबंध कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर से होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) (ii) के तहत आवेदन को मूलतः उनके कार्यालयीन पत्र क्र. 9287 दिनांक 19.10.2020 के द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर को हस्तान्तरिंत करते हुए आवेदक श्री महेश कुमार शर्मा को सूचित किया गया था।

प्रकरण की सुनवाई में कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर के जन सूचना अधिकारी श्री एस.मिंज भी उपस्थित हुए। श्री मिंज ने अवगत कराया कि वांछित जानकारी का निकट संबंध कार्यालय अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल, दुर्ग से होने के कारण आवेदन को मूलतः उनके कार्यालयीन पत्र क्र. 12270 दिनांक 24.11.2020 के द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल, दुर्ग को हस्तान्तरित करते हुए आवेदक श्री महेश कुमार शर्मा को भी सूचित किया गया। जन सूचना अधिकारी श्री एस. मिंज ने यह भी बताया कि जन सूचना अधिकारी शिवनाथ मण्डल, दुर्ग के पत्र क्र. 4952 दिनांक 16.12.2020 के द्वारा आवेदक को नकल शुल्क स्वरूप ₹ 112.00 जमा करने के लिए लिखा गया है।

प्रकरण के अवलोकन एवं जन सूचना अधिकारी द्वय को सुनने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकरण वस्तुतः जन सूचना अधिकारी शिवनाथ मण्डल, दुर्ग से संबंधित होने के कारण आवेदक को प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी/मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था जो कि इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त करते हुए अपीलार्थी को इस सुझाव के साथ कि वे चाहें तो अपीलीय अधिकारी/मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, भगत सिंह चौक, रायपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रकरण निराकृत करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत पोस्टल आर्डर क्र. 98 374445 (₹ 50/–) को मूलतः वापस किया जाता है। इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में अपीलार्थी निम्न पते पर नियमानुसार द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

द्वितीय अपील

सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, अटल नगर
नवा रायपुर (छ.ग.)

हस्ता/–
(परमान्नद जांगड़े)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, नवा रायपुर

पृ.क्रमांक 154/बो.प्र./नि.स./2019/ 11545 नवा रायपुर, दिनांक 24/12/2020

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण अभियंता, (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाइड (RTI) में अपलोड करने का कष्ट करें।
2. श्री एल.बी. शाह, कार्यपालन अभियंता, जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. श्री महेश कुमार शर्मा, ओसवाल लाइन जैन दादाबाड़ी के पीछे वार्ड नं. 32 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(परमान्नद जांगड़े)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, नवा रायपुर

23.12